COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

213

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग – 1308 – II-16

प्रकरण क्र.   /2016 निगरानी

1. कैलाश प्रसाद पटेल (कुर्मी) उम्र लगभग 40 वर्ष व्यवसाय कृषि
2. श्रीमती रंजीता पटेल उम्र 36 वर्ष पत्नी श्री कैलाश प्रसाद पटेल व्यवसाय कृषि

दोनों निवासीगण ग्राम सिंग्रामपुर तहसील जबेरा, जिला दमोह (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरुद्ध

1. श्रीमती वंदना पत्नी राजेन्द्र
2. श्रीमती उजयारी पत्नी सोनेलाल
3. श्रीमती गोराबाई पुत्री सोनेलाल
4. श्रीमती गोराबाई पुत्री सोनेलाल
5. श्रीमती शान्तीबाई पुत्री सोनेलाल
6. श्रीमती गिरिजाबाई पुत्री सोनेलाल

सभी निवासीगण ग्राम सिंग्रामपुर तहसील जबेरा, जिला दमोह (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

22-4-16 को
22-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

22/4/2016
प्रदीप श्रीवास्तव
एडवोकेट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है–

यह प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :–

1. यहकि, आवेदकगण के द्वारा जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 31.5.2004 को आवेदक क्रमांक 1 ने विक्रेता ...

सिंग्रामपुर प.ह.नं. 13 के खसरा नं. 69/1, 70/2, 70/1 रकवा क्रमशः 0.19, 0.61, 1.20 कुल रकवा 2.00 है. भूमि एवं आवेदक क्रमांक 2 श्रीमती रंजीता के द्वारा उक्त दिनांक को ही उक्त मौजा के खसरा नं. 69/2 रकवा 1.64 है. भूमि विक्रेता श्रीमती सविता जैन पति सतेन्द्र जैन से रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 31.5.2004 को खरीद कर दखल व कब्जा प्राप्त किया था जो आज भी चला आ रहा है।

2. यहकि, उपरोक्त भूमि पर आवेदकगणों के पूर्व विक्रेतागणों का कब्जा लगातार चला आ रहा था।

3. यहकि, आवेदकगणों के द्वारा क्रय की गयी भूमि के पुराने खसरा नं. 51/1क एवं 51/4 का नया खसरा नम्बर वर्तमान खसरा नं. 70 रकवा 1.81 है. भूमि है। इसी प्रकार खसरा नं. 51/1 ख का नया खसरा नम्बर वर्तमान खसरा नं. 69 है जिसका रकवा 1.83 हैक्टेयर है। कुल रकवा पुराना 3.640 है. एवं वर्तमान रकवा भी आवेदकगणों के द्वारा क्रय की भूमि के 3.640 है. है आवेदकगण बन्दोबस्त के पूर्व के खसरा नम्बर व रकबा की भूमि पर पूर्व के अनुसार ही मालिक काबिज चले आ रहे हैं।

4. यहकि, बन्दोबस्त के दौरान विवादित भूमि के नक्शा में परिवर्तन कर दिया गया जिसकी जानकारी आवेदकगण अथवा उसके पूर्व विक्रेतागणों को कभी नहीं हुई। आवेदकगण आज भी बन्दोबस्त के पूर्व के नक्शा के अनुसार व कब्जा के अनुसार मालिक काबिज चले आ रहे हैं।

5. यहकि, बन्दोबस्त में नक्शा में हुई त्रुटि का अनुचित लाभ के उद्देश्य से ख.नं. 72/1 एवं 72/2 रकवा 1.690 है. भूमि को अवैधानिक व अधिकारिता से बाह्य से बाहर होकर पट्टा करा लिया है जिसकी जानकारी आवेदकगण के व दखल व कब्जे की

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—1308—दो / 2016 जिला—दमोह

कैलाश प्रसाद व अन्य विरूद्ध श्रीमती वंदना आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18—02—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जवेरा, जिला—दमोह के प्र.क्र. 02 / अ—3 / 2014—2015 में पारित आदेश दिनांक 31—12—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला—दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	